# HRA En USIUS The Gazette of India

असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राचिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 649]

No. 649]

मई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2001/पौर 10, 1923 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2001/PAUSA 10, 1923

वित्त मंत्रालय

(राबस्व विभाग)

# अविस्चना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2001

सं. 133/2001-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 930(अ).—।अभिहित प्राधिकारी,, यू०के०, जर्मनी,, बलगारिया और ब्राजील ।जिसे इसक बाद 'विषयगत देश' कहा गया है। में मूलतः उत्पादित या वहा से निर्यातित, सीमाशुल्क टरिफ अधिनियम, 1975 ।1975 का 51। की पहली अनुसूची के उपशीर्ष स० 5501 30 और 5503 30 के अतर्गत आन वाली एकींलिक फाइबर ।जिसे इसके बाद 'विषयगत माल' कहा गया है। के आयात क मामले में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 23 नवम्बर, 2001 म प्रकाशित अपन प्रारंभिक निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि,—

ाक। यू०कं०, जर्मनी,, बलगारिया और ब्राजील के निर्यातक विषयगत माल को उनके सामान्य मृत्य स कम मृत्य पर निर्यात कर रहे हैं जिसक फलस्वरूप पाटन हुआ है,

ाख। भारतीय उद्याग का तात्विक क्षति पहुची है ,

ाग। विषयगत दशा स आयातों से सचयी रूप से क्षति कारित हुई है;

आर विषयगत दशां मं मूलत उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत भाल क सभी आयाता पर, अभिहित प्राधिकारी ने, अंतिम अवधारण के लंबित रहने तक, पाटनराधी शुल्क को अनितम रूप सं अधिरापित करना आवश्यक समझा है,

अतः, अब, कर्न्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ ।पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण। नियम 1995 के नियम 13 और 20 क साथ पठित उक्त सीभाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा 12। द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर, विषयगत देशों में मूलत उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त सीमाशुक्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं० 550130 और 5503.30 के अंतर्गत आने एकीलिक फाइबर पर, जब उसका इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ 121 में वर्णित निर्यातक द्वारा निर्यात और भारत में आयात किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ 131 में उल्लिखित रकम प्रति किलोग्राम के बराबर दर से प्रतिपाटन शुक्क अधिरापित करती है।

#### सारणी

र्देश	निर्यातक का नाम	प्रतिपाटन शुल्क ।प्रति कि०ग्रा० अमरीकी डालर।
11		3
यू०क०	सभी आयातक / निर्यातक	0.684
जर्मनी	सभी आयातक / निर्यातक	0 143
बलगारिया	सभी आयातक / निर्यातक	0.619
ब्राजील	सभी आयातक / निर्यातक	1.275

2 इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटित शुल्क 30 जून, 2002 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी होगा और भारतीय मुद्रा में देय होगा ।

स्पर्ध्वाकरण.— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रतिपाटित शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू "विनिमय दर" वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 | 1962 का 52 | की धारा 14 की उपधारा 13 | के खड | क | के उपखंड | i | के अधीन शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, समय—समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मत्रालय | राजस्य विभाग | की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और "विनिमय दर" के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन 'प्रवेश पत्र" के प्रस्तुत करने की तारीख होगी |

[ फा. सं. 354/223/2001-टीआरयू] विवेक प्रसाद, अवर सचिव

# MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2001

# No. 133/2001-CUSTOMS

G.S.R. 930(E).— WHEREAS in the matter of import of Acrylic Fibre (hereinafter referred to as 'the subject goods'), falling under sub-heading No. 5501.30 or 5503.30 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from UK, Germany, Bulgaria and Brazil (hereinafter referred to as 'subject countries'), the designated authority vide its preliminary findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 7th December, 2001, has come to the conclusion that-

- (a) Acrylic Fibre has been exported to India from subject countries below its normal value:
- (b) the domestic industry has suffered material injury;
- (c) the material injury has been caused by the dumped imports from subject countries; and the designated authority has considered it necessary to impose anti-dumping duty, provisionally, pending final determination, on all imports of the subject goods, originating in, or exported from, the subject countries;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the above findings of the designated authority, hereby imposes on Acrylic Fibre, falling under sub-heading No. 5501.30 or 5503.30 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from subject countries, and exported by exporters specified in column (2) of the Table annexed hereto, and imported into India, an anti-dumping duty at the rates specified in column (3) of the said Table.

Table

Country	Name of the exporter	Anti dumping duty (US \$ per kg.)
(1)	(2)	(3)
UK	All producers/exporters	0.684
Germany	All producers/exporters	0.143
Bulgaria	All producers/exporters	0.619
Brazil	All producers/exporters	1.275

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective upto and inclusive of the 30th day of June, 2002, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, "rate of exchange" applicable for the purposes of calculation of anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers under sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the relevant date for the determination of the "rate of exchange" shall be the date of presentation of the "bill of entry" under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/223/2001-TRU] VIVEK PRASAD, Under Secy.

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2001

### सं. 134/2001-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 931(अ)---केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम 2001 12001 का 141 की धारा 119 की उपधारा (ख)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जनवरी 2002 को ऐसी तारीख के रूप में नियुक्त करती है, जिसको सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 11975 का 511 की पहली अनुसूची का, उक्त वित्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची में यथाउपबंधित रूप में संशोधन किया जायेगा ।

[फा. सं. 354/188/99-टीआरयू(भाग-1)] विवेक प्रसाद, अवर संचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2001

#### No. 134/2001-CUSTOMS

G.S.R. 931(E).— In exercise of the powers conferred by clause(b) of section 119 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001), the Central Government hereby appoints the 1<sup>st</sup> day of January 2002, as the date from which the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) shall be amended in the manner specified in the Third Schedule to the said Finance Act.

[F. No. 354/188/99(Part-1)] VIVEK PRASAD, Under Secy.

# अधिसूचना

# नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2001

# सं. 135/2001-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 932(अ).—कंन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) या, यथास्थिति, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 |1975 का 51। की धारा 9क की उपधारा |1), क साथ पिटत वित्त अधिनियम, 2001 । 2001 का 14 । की धारा 119 की उपधारा ।ख।, द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करत हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निर्देश देती है कि उपवध सारणी क स्तभ |2| में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं का, उवत सारणी क स्तभ |3| में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, संशोधन या और संशोधन, उन बातों के सिवाय जिनकों एस संशोधन सं पूर्व किया गया है या करने का लोप किया है, किया जायेगा ।

सारणी

[क्रम	अधिसूचना स० तथा तारीख	संशोधन
स∪		
111	2	3
1.	236 / 89 – सीमाशुल्क, तारीख 1 सितम्बर, 1989	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,  क  कम स0 14 के सामने, स्तंम  3  में, "4104.21" अंक के ख्यान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्— "41 04 या 41 07";  ख  कम सं0 15 के सामने, स्तंभ  3  में, "4104 22" अक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात.— "41 04 या 41.07";  ग। कम सं0 16 के सामने, स्तंभ  3  में, "4104 29" अंक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात.— "41 04 या 41 07"
2.	28 / 95-सीमाधुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,  1. कम सं० II। के सामने, रतम 12। में,—  1क। अंक शब्द और अक्षर "29 उपशीर्ष सं० 4802.51 के अंतर्गत आने वाले मुद्रण के लिए प्रयुक्त अलेपित पेपर ओर पेपर बोर्ड जिसका भार 40 ग्राम वर्ग मीटर से कम हो" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्—  "29. उपशीर्ष 4802.54 के अंतर्गत आने वाले मुद्रण के लिए प्रयुक्त प्रकार के अलेपित पेपर या पेपर बोर्ड जिसका भार 40 ग्राम वर्ग मीटर से कम हो";  1ख। अंक शब्द और अक्षर "30. उपशीर्ष सं० 4802.53 के अंतर्गत आने वाले मुद्रण के लिए प्रयुक्त अलेपित पेपर ओर पेपर बोर्ड जिनका भार 150 ग्राम वर्ग मीटर से अधिक हो" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्—  "30. उपशीर्ष 4802.58 के अंतर्गत आने वाले मुद्रण के लिए प्रयुक्त अलेपित पेपर ओर पेपर बोर्ड जिसका भार 150 ग्राम वर्ग मीटर से अधिक हो" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्—  "31. अक शब्द और अक्षर "35. उपशीर्ष संठ 5105.30 के अंतर्गत आने वाला सूक्ष्म प्राणी रोम ।धूनित या कंकतकृत ।" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्—  "36. उपशीर्ष 5105.31 या 6105.39 के अंतर्गत आने वाला सूक्ष्म प्राणी रोम ।धूनित या कंकतकृत ।" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्—  "36. उपशीर्ष 5105.31 या 6105.39 के अंतर्गत आने वाला सूक्ष्म प्राणी रोम ।धूनित या कंकतकृत ।";  1घ। अंक शब्द और अक्षर "44. उपशीर्ष संठ 8514.20 के अंतर्गत आने वाले प्रेरण मिट्टयाँ" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्—  "44. उपशीर्ष 8614.20 के अंतर्गत आने वाले प्रेरण द्वारा काम करने वाले भिट्टयाँ";

<del></del>	, <del></del> .	
		2. कम सं0   II   में, स्तंम   2   में,
		शावक के त्वचा चमड़े ।जिन पर रोम नहीं है।";  ग  अंक शब्द और अक्षर "4. शीर्ष सं0 41.11 के अंतर्गत आने वाला संयोजन चमड़ा" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:— "4. उपशीर्ष 4115.10 में आने वाला संयोजन चमडा" ;और
		घ   अंक शब्द और अक्षर "8. उपशीर्ष सं0 4802.51, 4802.52 या 4802.53 के अंतर्गत आने वाले मुद्रण कागज जिसकी अंतंवस्तु भारत के आधार पर वजन 25 ग्राम / वर्ग मीटर और उससे अधिक हैं, किन्तु 180 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक नहीं हैं" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात:— "8. उपशीर्ष सं0 4802.54, 4802.55, 4802.56, 4802.57 या 4802.58 में आने वाले मुद्रण कागज जिसकी अंतंवस्तु भारत के आधार पर वजन
3	<b>28 / 95—सीमाशुल्क, तारीख</b>	25 ग्राम / वर्ग मीटर और उससे अधिक हैं, किन्त्र 180 ग्राम / वर्ग मीटर से अधिक नहीं हैं" । उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कम सं० 9 के सामने स्तंभ 12 1 में, अंक
3.	28 / 95सामासुत्क, साराख   16 मार्च, 1995	और शब्द "2939.61, 2939.62,2939 63,2939.69 या 2939.90" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थातः—्
4.	105 / 99—सीमाशुल्क, तारीख	"2939.61, 2939 62, 2939.63, 2939 69, 2939.91 या 2939 99" । उक्त अधिसूचना में, सारणी में, भाग क में,—
4.	10 अगस्त, 1999	i   कम सं0 7 के सामने स्तंभ   3   में अंक "0805.30" के स्थान पर अंक "0805.50" रखा जायेगा;   ii   कम सं0 19 के सामने स्तंभ   3   में अंक "1211.90" के स्थान पर अंक और शब्द "1211 30, 1211.40 या 1211 90" रखे जायेगें;
		iii  कम सं0 23 के सामने स्तंभ  3  में अंक ''1905.30'' के स्थान पर अंक और शब्द ''1905.31 या 1905.32'' रखे जायेगें;
		liv। कम सं0 35 के सामने स्तंभ ।3। में,—
		क  अंक, कोष्ठक तथा शब्द "29.33  2933.59 के अलाया।" के स्थान पर निम्नलिखित अंक कोष्ठक तथा शब्द रखे जायेगें, अर्थात: "29.33  2933.55 तथा 2933.59 के अलाया।";
<u></u>		Z3.33  2333.03 (191 2333.03 97 (1911) ;

		तथा 2939 90 के अलावा।" के स्थान पर निम्नलिखित अंक कोष्ठक तथा शब्द रखे जायेगें, अर्थात:— "29.39 ।2939.11, 2939.19, 2939.91 तथा 2939.99 के अलावा।" ;
		Iv। कम सं0 36 के सामने स्तंभ ।3। में अंक "2939.70, 2939.90, 29.40"के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात.— "2939.91, 2939.99 एवं 29.40";
		vi  कम सं0 47 के सामने स्तंभ  3  में अंक "4010.29"के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थातः— "4010.39" ;
		Ivii   कम सं0 50 के सामने,—   क   स्तंभ   2   की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्.— ''28 वर्ग फीट   2 6 वर्ग मीटर   से अनधिक तल क्षेत्रफल वाले
		पूर्ण बोवाइन त्वचा चमजा;" तथा  ख  स्तंम  3  की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:— "4104 या 4107" ;
		Iviii। कम सं0 51 के सामने स्तंभ ।3। में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्- "44.10, 4418.20, 4418.40, 4418.50 एवं 4418.90"।
5.	26 / 2000—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2000	उक्त अधिसूयना में,  I  सारणी में, सूची—1 में कम सं0 1 के सामने, स्तंम 2  में,  क  अंक "2805.19, 2805.21, 2805.22" के स्थान पर अंक "2805. 12, 2805.19" रखे जायेगें;  ख  अंक "2903.15, 2903.16, 2903.19" के स्थान पर अंक "2903. 15, 2903 19" रखे जायेगें;
		।ग । अंक ''2905.50'' के स्थान पर अंक ''2905.51,2905.59'' रखे जायेगें;
		घ  अंक ''4802.51'' के स्थान पर अंक ''4802.54'' रखे जायेगें;
		छ  अंक "4811.31, 4811.39, 4811.40" के स्थान पर अंक "4811.51, 4811.59, 4811.60" रखे जायेगै;  च  अंक "4823.11" के स्थान पर अंक "4823.12" रखा जायेगा;  छ  अंक "4823.51, 4823.59" का लोप किया जायेगा;
		II   अनुबंध में, सूची—1 में, स्तंभ  2  में अंक "4411.21, 4411.29 के स्थान पर अंक "4411.41, 4411.49" रखे जायेगें;
6.	17 / 2001—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2001	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—  i  कम सं0 15 के सामने स्तंम  2  में अंकं "0805.10, 0805.30 अथवा 0806.10" ,के स्थान पर निम्निलेखित रखा जायेगा, अर्थात्:— "0805.10, 0805.50 अथवा 0806.10";

तारीख ३७ जुलाई, २००१	"2939 59 एवं 2939.30" I
<b>82</b> / 2001—सीमाशुल्क,	उक्त अधिसूचना म, अक एव शब्द "2939 30 एव 2939 50" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात:—
120 /2004	
	329घ 9009 99 अन्य 15%
	329म 9009 92 पपर फार्डर   15%
	329क 9009 91 आटामेटिक डाकूमेंट फीडर 15% 329ख 9009 92 पपर फीडर 15%
	220 ± 2000 04 अपनापंत्रिक सक्तांत्र प्रीत्य 450
	11   12   13   14   15   16
	ıxi। कम सं0 329 के बाद निम्नलिखित अंत स्थापित किया जायेगा;
	"कुछ नहीं";
	निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थातः—
	पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् "4012 13"; IX   कम सं0 291 क के सामने, स्तंभ 15   की प्रविष्टि के स्थान पर
	lix। कम सं0 135 के सामने स्तम 12। में अक "4012.10" के स्थान
	125 क 38 17 मिश्रित अलकाइल बेन्जियन 25 %
	viii  कम सं0 125 के बाद निम्नलिखित अंत. स्थापित किया जायेगा
	``38 22'';
	vii  कम सं0 95 के सामने स्तम  2  में अंक ''30''के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा, अर्थात्.—
	''1905.31 एव 1905 32 <sup>''</sup> ;
	Vi  कम सं0 41 के सामने स्तंम  2  में अंक "1905.30"के स्थान फ निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—
	"1514.91 एवं 1514.99";
	।V। कम सं0 34घ के सामने स्तंम ।2। में अंक "1514.90" के स्थान पर निम्निलिखित रखा जायेगा, अर्थातः—
	"1514.91 एवं 1514.99";
	iv  कम सं0 34ग के सामने स्तंभ  2  में अंक "1514.90" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—
	"1211.30, 1211.40 अथवा 1211.90";
	iii  कम सं0 25 के सामने स्तंम  2  मैं अंक "1211.90"के स्थान फ निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:
	"0810.60 अथवा 0810.90";
	निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

2. े यह अधिसूचना १ जनवरी., २००२ स प्रभावी हागी ।

## टिप्पण :--

- [1] मूल अधिराचना भारत क राजपत्र, असाधारण, मं अधिसूचना सं० 236/89—सीमाशुल्क, तारीख 1 सितम्बर 1989 [सा० का० नि० 805 ( अ) , तारीख 1 सितम्बर, 1989] द्वारा प्रकाशित हुई थी, एवं उसका अतिम संचाधन भारत क राजपत्र असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं० 106/1999—सीमाशुल्क, तारीख 10 अगस्त, 1999 [सा०का०नि० 583 ( अ) , तारीख 10अगस्त, 1999 द्वारा किया गया ।
- ्राष्ट्री मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं० 26/95—सीमाशुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 [सा० का० नि० 115 (अ), तारीख 16 मार्च, 1995] द्वारा प्रकाशित हुई थी, एव उसका अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र असाधारण, में प्रकाशित अधिसूचना सं० 20/2001—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2001 [सा०का०नि० 119 (अ), तारीख 1 मार्च, 2001] द्वारा किया गया ।
- |3| मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं० 28/95—सीमाशुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 [सा० का० नि० 157 (अ), तारीख 16 मार्च, 1995] द्वारा प्रकाशित हुई थी, एवं उसका अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं० 27/1999—सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999 [सा०का०नि० 163 (अ), तारीख 28 फरवरी, 1999] द्वारा किया गया।
- |4| मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं0 105 / 1999—सीमाशुल्क, तारीख 10 अगस्त, 1999 [सां0 कां0 नि0 582 (अ), तारीख 10 अगस्त, 1999] द्वारा प्रकाशित किया गया।
- 15। मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं० 26 / 2000—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2000 [सा० का० नि० 178 (अ), तारीख 1 मार्च, 2000] द्वारा प्रकाशित हुई थी, एवं उसका अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं० 20 / 2001—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2001 [सा०का०नि० 119 (अ), तारीख 1 मार्च, 2001] द्वारा किया गया।
- 16। मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं० 17 / 2001—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2001 [सा० कां० नि० 116 (अ), तारीख 1 मार्च, 2001] द्वारा प्रकाशित हुई थी, एवं उसका अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र असाधारण, में प्रकाशित अधिसूचना सं० 119 / 2001—सीमाशुल्क, तारीख 16 नवम्बर, 2001 [सा०का०नि० 850 (अ), तारीख 16 नवम्बर, 2001] द्वारा किया गया।
- |7| मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं0 82/2001—सीमाशुल्क, तारीख 30 जुलाई, 2001 [सां0 कां0 नि0 562 (अ), तारीख 30 जुलाई, 2001] द्वारा प्रकाशित किया गया ।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2001

# No. 135/2001-CUSTOMS

G.S.R. 932(E).— In exercise of the powers conferred by section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), or, as the case may be, sub-section(1) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with clause (b) of section 119 of the Finance Act, 2001(14 of 2001), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column(2) of the Table hereto annexed, shall be amended or further amended, as the case may be, except as respects things done or omitted to be done before such amendments, in the manner specified in the corresponding entry in column(3) of the said Table.

#### **TABLE**

S.No	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	236/89-Customs, dated the 1 <sup>st</sup> September, 1989	In the said notification, in the Table, -  (a) against S. No 14, in column (3), for the figures   "4104.21", the following shall be substituted, namely:-  "41.04 or 41.07";

<u> </u>		
		(b) against S. No 15, in column (3), for the figures "4104.22", the following shall be substituted, namely:- "41.04 or 41.07";
		(c) against S. No 16, in column (3), for the figures "4104.29", the following shall be substituted, namely:- "41.04 or 41.07";
2.	26/95-Customs, dated the 16th March,	In the said notification, in the Table,
	1995	1. against S. No. (I), in column (2),-
		(a) for the figures, words and letters "29. Uncoated paper and paperboard of a kind used for printing and weighing less than 40 g/sq.m. falling under subheading No. 4802.51", the following shall be substituted, namely:-  "29. Uncoated paper and paperboard of a kind used for printing and weighing less than 40 g/sq.m. falling under sub-heading 4802.54";
		(b) for the figures, words and letters "30. Uncoated paper and paperboard of a kind used for printing and weighing more than 150 g/sq.m. falling under subheading No. 4802.53", the following shall be substituted, namely:-  "30. Uncoated paper and paperboard of a kind used for printing and weighing more than 150 g/sq.m. falling under sub-heading 4802.58";
		(c) for the figures, words and brackets "35. Fine animal hair (carded or combed) falling under subheading No. 5105.30", the following shall be substituted, namely;  "35. Fine animal hair (carded or combed) falling under sub-headings 5105.31 or 5105.39"; and
		<ul> <li>(d) for the figures, words and letters "44. Induction furnaces falling under sub-heading No. 8514.20", the following shall be substituted, namely:         "44. Furnaces functioning by induction falling under sub-heading 8514.20";</li> </ul>
		2. in S. No. (II), in column (2),- (a) for the figures, words, brackets and letters "2.  Leather of bovine or equine animals (without hair on) falling under heading No. 41.04 (except subheading Nos. 4104.10, 4104.21 and 4104.39)", the following shall be substituted, namely:-  "2. Leather of bovine or equine animals (without hair on) falling under headings 41.04 and 41.07 [except whole bovine skin leather, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2.6 square metres); other bovine leather, vegetable pre-tanned; or other bovine leather and equine leather, parchment dressed or prepared after tanning (other than full grains and full grain splits)]";

,	· · ·	
		(b) for the figures, words, brackets and letters "3. Goat or kid skin leather (without hair on) falling under heading No. 41.06 (except sub-heading Nos. 4106.12 and 4106.20)", the following shall be substituted, namely:  "3. Goat or kid skin leather (without hair on) falling under headings 4106.20 or 4113.10 (except otherwise pre-tanned or parchment dressed or prepared after tanning)";
		(c) for the figures, words and letters "4. Composition leather falling under heading No. 41.11", the following shall be substituted, namely:  "4. Composition leather falling under sub-heading 4115.10"; and
		(d) for the figures, words and letters "8. Printing paper, having a substance by weight of 25 g/sq. m. and above but not exceeding 180 g/sq. m. falling under sub-heading Nos. 4802.51, 4802.52 or 4802.53", the following shall be substituted, namely:  "8. Printing paper, having a substance by weight of 25 g/sq. m. and above but not exceeding 180 g/sq. m. falling under sub-headings 4802.54, 4802.55, 4802.56, 4802.57 or 4802.58".
3	28/95-Customs, dated the 16 <sup>th</sup> March, 1995	In the said notification, in the Table, against S.No 9, in column(2), for the figures and word "2939.61, 2939.62, 2939.63, 2939.69 or 2939.90", the following shall be substituted, namely:- "2939.61, 2939.62, 2939.63, 2939.69, 2939.91 or 2939.99".
4.	105/99-Customs, dated the 10th August, 1999	In the said notification, in the Table, in PART A,-  (i) against S.No 7, in column(3), for the figures "0805.30", the figures "0805.50" shall be substituted;  (ii) against S. No. 19, in column (3), for the figures "1211.90", the figures and word "1211.30, 1211.40, or 1211.90" shall be substituted;  (iii) against S. No. 23, in column (3), for the figures "1905.30", the figures and word "1905.31, or 1905.32" shall be substituted;  (iv) against S. No 35, in column(3),-  (a) for the figures, brackets and word "29.33( except 2933.59)", the following figures, brackets and words shall be substituted namely;-  "29.33 (except 2933.55 and 2933.59)"  (b) for the figures brackets and words "29.39(except 2939.10, 2939.70 and 2939.90)", the following shall be substituted, namely:-  "29.39(except 2939.11, 2939.19, 2939.91 and 2939.99)"  (v) against S. No 36, in column (3), for the figures "2939.70, 2939.90, 29.40", the following shall be substituted, namely:-  "2939.91, 2939.99, 29.40";

		(vi) against S. No 47, - in column (3), for the figures "4010.29", the following shall be substituted, namely;- "4010.39";
		( vii) against S. No 50,-
		(a) for the entry in column (2), the following shall be substituted, namely;-
		"whole bovine skin leather, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2.6 square metres)"; and
		(b) for the entry in column (3), the following shall be substituted, namely;-
(		" (41.04 or 41.07)";
		(viii) against S. No 51, -for the entry in column (3), the following shall be substituted, namely;- "44.10, 4418.20, 4418.40, 4418.50, 4418.90".
5	26/2000-Customs dated the 1st March	In the said notification,-
	2000	(I) in the Table, in LIST -1, against S. No 1, in column (2),- a) for the figures "2805.19, 2805.21, 2805.22" the following shall be substituted, namely;- "2805.12, 2805.19"; b) for the figures "2903.15, 2903.16, 2903.19" the following shall be substituted, namely;- "2903.15, 2903.19"; c) for the figure "2905.50, "the following shall be substituted, namely;- "2905.51, 2905.59": d) for the figure "4802.51", the following shall be substituted, namely;- "4802.54"; e) for the figure "4811.31, 4811.39, 4811.40" the following shall be substituted, namely;- "4811.51, 4811.59, 4811.60"; f) for the figure "4823.11, "the following shall be substituted, namely;- "4823.12,"; and g) the figures "4823.51, 4823.59," shall be omitted";  (II) in the ANNEXURE, under LIST -1, in column (2), for the figures "4811.21, 4811.29" the following shall be substituted, namely;- "4811.41, 4811.49,".
6.	17/2001-Customs, dated the 1 <sup>st</sup> March, 2001	In the said notification, in the 'TABLE'-  i) against S.No 15, in column(2), for the figures  "0805.10, 0805.30 or 0806.10", the following shall be substituted, namely:-  "0805.10, 0805.50 or 0806.10";  ii) against S. No. 16, in column (2), for the figures "0810.90", the following shall be substituted, namely;-  "0810.60 or 0810.90";

	2001	" 2939.30 substituted, " 2939.59 a	namely:-	ŕ	followi	ng sh	all be
7.	82/2001-Customs dated 30 <sup>th</sup> July,	In the said	, notificat	tion , for the	figures		
		329C 329D	9009.93	Sorters Other	15% 15%	<del>-</del> -	<u></u>
				feeders			
		329B	9009.92	feeders Paper	15%		
			2007.71	document	10/4		
		(1) 329A	(2) 9009.91	(3) Automatic	(4) 15%	(5)	_(6)_
			the followi	ng shall be ins	erted, nai	mely;	
		xi)	"Nil";	.329 and the er	_		-
		x)	against S.	No.291A for the sub-			
		ix)	against S. figures "4 substituted " 4012.13	, namely:-	column followi		
			t	oenzenes	<del></del>		
		(1) 125A		•	(4) 25%	(5) -	(6) -
		viii)		125 and the en		_	her <b>e</b> to,
			namely;- "38.22";	_			
		vii)	against S.N	, namely;- or 1905.32"; No 95, in colun e following			
		vi)	against S. figures "1	or 1514.99"; No. 41, in 1905.30", the			
		v)	figures, "I substituted				
			substituted "1514.91,	, namely;- or 1514.99";			
		iv)	against S.	No. 34C, in 514.90", the	column	(2), f ng sh	or the
			substituted			nig an	an oc
		iii)		No. 25, in 1211.90", the			

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2002.

#### Note:-

- 1) The principal notification . 236/89-Customs dated the 1st September, 1989 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R 805 (E) dated the the 1st September, 1989 and was last amended by notification No. 106/1999-Customs dated the 10 th August 1999 (G.S.R 583 (E) dated the 10 th August 1999)
- 2) The principal notification 26/95-Customs dated the 16 th March, 1995 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R 155 (E) dated the 16 th March, 1995 and was last amended by notification No. 20/2001-Customs dated the 1st March, 2001 (G.S.R 119 (E) dated the 1st March, 2001)
- 3) The principal notification No. 28/95-Customs dated the 16 th March, 1995 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R 157 (E) dated the 16 th March, 1995 and was last amended by notification No. 27/99-Customs dated the 28 th February , 1999 (G.S.R 163 (E) dated the 28 th February , 1999)
- 4) The principal notification No. 105/99-Customs dated the 10th August, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R 582 (E) dated the 10th August, 1999.
- 5) The principal notification No. 26/2000-Customs dated the 1st March, 2000was published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R 178 (E) dated the 1st March, 2000 and was last amended by notification No. 20/2001-Customs dated the 1st March, 2001 (G.S.R 119 (E) dated the 1st March, 2001)
- 6) The principal notification No. 17/2001-Customs dated the 1st March, 2001was published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R 116 (E) dated the 1st March, 2001 and was last amended by notification No. 119/2001-Customs dated the 16 th November, 2001 (G.S.R 850 (E) dated the 16 th November, 2001)
- 7) The principal notification No. 82/2001-Customs dated the 30<sup>th</sup> July, 2001 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R 562 (E) dated the 30<sup>th</sup> July, 2001